न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 330/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भोलाराम पुत्र स्व. श्री मोटाराम जाति सीरवी, निवासी बेरा अबजी का झालरा वार्ड नम्बर 17 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री बी.आर.विष्नोई, एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

आदेश दिनांक :–29.12.2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि कस्बा बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय की सरहद में स्थित है। राजस्व रेकर्ड के मुताबिक उक्त कृषि भूमि खाता संख्या 460 पर दर्ज है, जिसके खसरा नम्बर 4442/1 रकबा 05 बिस्वा किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 4446 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4449 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4450 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4455 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4460 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4465 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 07 कुल रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रार्थी के पिता का नाम अप्रभ्रंस रूप से मोतीराम उर्फ मोटाराम जाति सीरवी राठौड़ के रूप में भोलाराम पिता मोटाराम जाति सीरवी राठोड सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना रेकर्ड दुरूस्ती के रूप में किया जाना न्यायहित में आवष्यक है। प्रार्थना पत्र की ताईद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या एफएसएफ/1741537, परिवार राषन कार्ड संख्या 00391, आधार कार्ड नम्बर 977253615748 वगैराह

(कंचन राठौड़) लगातार --पेज-2

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि कस्बा बिलाड़ा की सरहद में स्थित होने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र बाबत् सुनवाई का न्यायालय श्री को पूर्ण क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेष कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर संलग्न खाता संख्या 460 बिलाड़ा के चक संख्या 1 द्वितीय के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काष्तकार के प्रार्थी की वल्दियत भोलाराम पिता मोतीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी को आदेषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी उपस्थित हुए और उनकी तरफ से जवाब पेष किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 4442/1 रकबा 05 बिस्वा किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 4446 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4449 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4450 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4455 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4460 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 4465 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 07 कुल रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा जमाबन्दी खाता संख्या 460 खातेदार भोलाराम पि. मोतीराम उर्फ मोटाराम जाति सीरवी राठौड़ के नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2843 द्वारा रेकर्ड अमद दरामद हुआ। पद संख्या 2 प्रार्थी का कथन असत्य है कि राजस्व कार्मिको की भूल से पिता का नाम अपभ्रंस दर्ज किया। जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1449 के कॉलम संख्या 14 में जरिये बैचान मोतीराम उर्फ मोटाराम पि. खेताराम जाति सीरवी (राठौड़) रेकर्ड अमल दरामद होना पाया गया। तहसील कार्यालय में उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त संख्या 2016 खाता संख्या 619 में मोती वल्द खेता जाति सीरवी (राठौड़) दर्ज होना पाया। अतः माफिक रेकर्ड जॉच अनुसार उक्त प्रकरण खारिज योग्य है।

उभय पक्षकारान के वकुलाय की बहस सुनी गयी, वकुलाय ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा जवाब के पद संख्या 2 में

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बिलाड़ा (जोधपुर)

(कंचन राठौड़) लगातार -- पेज-3
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पेज - 3

स्पष्ट रूप से बताया गया कि उपरोक्त खातेदारी भूमि मोतीराम उर्फ मोटाराम पि. खेताराम को जरिये बैचान प्राप्त हुयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1449 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इस कारण जरिये बैचाननामा में अंकित नाम की शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)
सत्यमेव जयते

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा